बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

06/2/25

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश
पेश की गयी। इसमें पत्रावली का
अध्ययन किया गया। पत्रावली उक्त
पर मनन किया गया। अतः अपील
अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।
विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
जाकर शामिल किया गया। पत्रावली
रिकॉर्ड पोर्टल बंद कर दी जाकर नम्बर
से मुक्त की बाद पूर्ति दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड (कोटपूतली–बहरोड़) राज.

ठासीन अधिकारी – रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस.)

जस्व अपील संख्या :– 11 / 2024

ायर दिनांक :– 25.09.2024

ार्णय दिनांक :– 06/02/25

उनवान

1. प्रीति पुत्री श्री आजाद सिंह जाति जाट निवासी एल ब्लॉक गली न. 09 महिपालपुर साउथ वैस्ट दिल्ली हाल पत्नि श्री दलबीर राणा जाति जाट निवासी मदर कॉनवेट स्कूल कम्पल मुगेशपुर कुतुबगढ उत्तर पश्चिमी दिल्ली। ....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत दहमी पंचायत समिति बहरोड़ जिला–कोटपूतली बहरोड़।
2. श्रीमती सुशीला पत्नि आजादसिंह निवासी एल ब्लॉक गली न0 09 महिपालपुर साउथ वेस्ट दिल्ली 110037 ....रेस्पोडेन्टान

प्रथम अपील विरूध इन्तकाल संख्या 1657 दिनांक 06.09.2024 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड को ग्राम पंचायत दहमी तहसील बहरोड द्वारा विधि विरूघ रूप से खारिज किया गया को अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्ट किये जाने मन्जुर व दिलवायो जाने खर्चा मुकदमा व अन्य अनुतोष खुद

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार यादव वकील अपीलान्ट

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली हमारे समक्ष वास्ते ओदश पेश की गई। अपीलान्ट के वकील उपस्थित है। अपीलान्टठ द्वारा जरिये वकील के अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इन्तकाल संख्या 1657 दिनांक 06.09.2024 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थ्शान को ग्राम पंचायत दहमी प. स. बहरोड द्वारा विधिस विरूधस रूप से खारीज किया गया है को अपील हाजा के आगामी सभी पछो में विवादित इन्तकाल से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 60 रकबा 42 ऐयर .65 रकबा 0.3990 हैक्टेयर वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड जिला–कोटपूतली–बहरोड़ में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 45 ऐयर खसरा नम्बर 65 रकबा 0.3950 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड में रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 श्रीमाती सुशीला 500/819 भाग की खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकोर्ड चली आ रही तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने सम्पूर्ण हक व हिस्से का दान पत्र अपीलान्ट के हक में दिनांक 23.07.2024 को पुस्तक सं0 01 जिल्द संख्या 7 में पृष्ट संख्या 131 क्रम संख्या 2014033584100481 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 27 के पृष्ट संख्या 230 से 236 पर चस्पा किया गया। जो नकल दान पत्र संलग्न है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी का दान पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपीलान्ट के हक में दिनांक 23.07.2024 को मौके पर कब्जा देकर किया तथा दान पत्र को उप पंजीयक महोदय द्वारा मौके पर कब्जा की जॉच करके दान पत्र से पूर्व कब्जा रेस्पेडेन्ट सं. 02 का व दान पत्र के बाद कब्जा अपीलान्ट का होना मिला जिस दान पत्र को विधिवत रूप से तस्दीक व पंजिबद्व किया गया जो दस्तावेज संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा मन अपीलान्ट के हक में दान पत्र मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

कब्जा देकर विधिवत रूप से किया जासने के पश्चात मन अपीलान्ट ने दान पत्र पटवारी हल्का को इन्तकाल दर्ज करने के लिए दिया जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जॉच रिपोर्ट ग्राम पंचायत दहमी के समक्ष पेश कर इन्तकाल स्वीकृत करने हेतु पेश किया जो ग्राम पंचायत दहमी का सरपंच रेस्पोडेन्ट सं0 01 मौके पर बिना कब्जा की जॉच किये बिना अपीलान्ट को सुने बिना कब्जा की जॉच किये विवादित इन्तकाल का विधि विरूघ रू॰ से खारीज कर दिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा खिलाफ कानून है। विवादित इन्तकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 60 ,65 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 सुशीला ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 500/819 को अपनी पुत्री अपीलान्ट के हक में मौके पर कब्जा देकर दान पत्र किया है। जो विधि मान्य दस्तावेज है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इनत थ्यो पर कतई गौर नही किया जो काबिल गौर श्रीमान है। श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित इन्तकाल संख्या 1657 दिनांक 06.09.2024 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड को ग्राम पंचायत दहमी प.स0 बहरोड रेस्पोडेन्ट स0 01 द्वारा बिना मौके पर कब्जा की जॉच किये बिना अपीलान्ट को सूचना दिये बिना सुने प्रोपर्टी डीलरो के प्रभाव व बहकावे में आकर इन्तकाल को विधि विरूध रूप से खारीज कर दिया जो खिलाफ रजिस्टर्ड दान पत्र व खिलाफ कानून है। जिसको अपास्त किया जाकर मुताबिक दान पत्र व कब्जा के अपीलान्ट के हक में इन्तकाल विधि रूप से दर्ज करवाये जाने की आज्ञा पारित करने की कृपा करे। तथा खर्चा मुकदमा रेस्पोडेन्ट सं0 1 से अपीलान्टठ को दिलवाया जावे एवं अन्य अनुतोष जो श्रीमान उचित समझे सादिर अता फरमाया जाने की कृपा करे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट बावजूद सुचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने ने इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

हमारे द्वारा वकुलाय की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। हाल जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता सख्यां 91 के खसरा नम्बर 60 व 65 में रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 का 500/819 हिस्सा जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 02 श्रीमती सुशीला देवी पत्नि आजाद सिंह जाति जाट निवासी एल ब्लॉक गली न0 09 महिपाल पुर साउथ बेस्ट दिल्ली ने अपनी खातेदारी आरजी खसरा नम्बर 60 रकबा 0.42 हैक्टैयर व 65 रकबा 0.3950 है0 वाके ग्राम दुघेडा के 500/819 हिस्से का दान अपनी पुत्री प्रीती पुत्री आजादसिंह को रजिस्टर दान पत्र के द्वारा किया गया है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। जिस सूरत में अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार होने योग्य पाई जाती है।

–: आदेश :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर तहसीलदार बहरोड़ को इन्तकाल संख्या 1657 दिनांक 06.09.2024 वाके ग्राम दुघेडा तहसील बहरोड को ग्राम पंचायत दहमी तहसील बहरोड का मुताबिक दान पत्र के आधार कर इन्तकाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी कदर राजस्व रिकोर्ड को संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बहरोड को पालना हेतु अहकाम जारी किया जावे।

आज दिनांक 06/02/25 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना–II)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] बहरोड